1. In the court of Abhishek.K. Das, Sessions Judge, East Champaran at Motihari,
B.P. No. 810/2026, dt. 16.04.2026, Deepak Kumar vrs. State of Bihar.

न्यायालय,सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

जमानत आवेदन संख्या–810/2026

उपस्थित :– अभिषेक कुमार दास
सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

1. दीपक कुमार , वल्द जंगबहादुर राय उम्र 34 वर्ष
ग्राम–गोपीनाथपुर, दोहरा थाना–सरैया फैक्ट्री, जिला– मुजफ्फरपुर.....................आवेदक।

बनाम

बिहार सरकार ....विपक्षी ।

आवेदक की ओर से – श्री मो0 नदीम अहमद ,विद्वान अधिवक्ता ।
अभियोजन की ओर से – श्री खूबलाल प्रसाद, विद्वान लोक अभियोजक

आदेश

16.04.2026 काराधीन आवेदक/अभियुक्त दीपक कुमार की ओर से डुमरियाघाट थाना कांड संख्या–344/2025, धारा–303(2), 111, 112, 313, 317(4), 317(5)/3 (5) बी.एन.एस. के अन्तर्गत जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जिसकी प्रति विद्वान लोक अभियोजक को प्रदान किया जा चुका है। आवेदक दिनांक 24.02.2026 से कारा में निरूद्ध है।

अभियोजन के अनुसार सूचक दिलीप कुमार चौधरी के चौदह चक्का ट्रक संख्या– बी.आर.06 जी.डी– 9624 को अज्ञात चोरो के द्वारा चोरी कर कहीं ले गया है। चोरी के समय गाड़ी पर बालू लदा था जो भोजपुर जिला से किरकिरी घाट संख्या–23 से बालू लोड कर मोतिहारी जिला आ रहा था तथा उसके गाड़ी का ओरिजनल पेपर गाड़ी में ही था।

जमानत आवेदन की कंडिका–2, में कहा गया है कि आवेदक के द्वारा पूर्व में अन्य कोई नियमित/अग्रिम जमानत आवेदन इस न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है, कंडिका–3 में कहा गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा कंडिका–4 में कहा गया है कि आवेदक दिनांक 24.02. 2026 से कारा में निरूद्ध है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन में कथन किया गया है कि आवेदक निर्दोष है उसकी आपराधिक घटना में कोई संलिप्तता नहीं है, उसे इस मामले में झूठा आरोपित किया गया है। प्राथमिकी अज्ञात के विरूद्ध दर्ज है। आवेदक

का नाम अनुसंधान के क्रम में अप्राथमिकी अभियुक्त के बयान से प्रकट हुआ है। आवेदक के पास कोई अपराधारोपक सामग्री बरामद नहीं हुआ है। सह अभियुक्त भूषण कुमार को जमानत आवेदन संख्या– 164 / 2026 दिनांक 09.02.2026 एवं सह अभियुक्त दिलीप कुमार को जमानत आवेदन संख्या– 436 / 2026 दिनांक 26.02.2026 को इसी न्यायालय द्वारा जमानत पर मुक्त किया गया है। अतः जमानत पर छोड़े जाने की प्रार्थना की गयी है।

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

उभय पक्षों को सुना। प्राथमिकी की सच्ची प्रमाणित एवं केस डायरी की अभिप्रमाणित प्रति का अवलोकन किया, जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक प्राथमिकी में नामित अभियुक्त नहीं है। प्राथमिकी अज्ञात के विरूद्ध दर्ज है। कांड दैनिकी की कंडिका–41, 42, 43 एवं 65 में सह अभियुक्त भूषण कुमार, बिकाउ कुमार ,संतोष कुमार उर्फ जटहा का तथा दीपक कुमार का संस्वीकृति बयान अंकित है, जिसमें आवेदक की घटना में संलिप्तता बताया गया है। कांड दैनिकी की कंडिका– 50 के अनुसार चोरी हुए ट्रक को गैराज से अलग–अलग पार्ट पूर्जा में बरामद होना बताया गया है। जमानत आवेदन की कंडिका– 3 के अनुसार आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास होना अंकित नहीं है। सह अभियुक्त भूषण कुमार को इसी न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन संख्या– 164 / 2026 दिनांक 09.02.2026 एवं दीपक कुमार को जमानत आवेदन संख्या– 364 / 2026 दिनांक 26.02.2026 के द्वारा जमानत पर मुक्त किया जा चुका है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, आरोप की प्रकृति एवं आवेदक के कारा अवधि को ध्यान में रखते हुए आवेदक / अभियुक्त दीपक कुमार की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को स्वीकृत किया जाता है तथा आवेदक / अभियुक्त द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में मो0 10000 /–रु. के बंध–पत्र एवं इतने ही राशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद समाधान पर इस शर्त के साथ मुक्त किए जाने का आदेश दिया जाता है कि :–

1. आवेदक अनुसंधान में सहयोग करेंगे।
2. जमानतदारो में से एक जमानतदार आवेदक का नजदीकी रिश्तेदार माता, पिता, भाई, बहन एवं पत्नी होंगे,
3. आवेदक जमानत से मुक्ति के पश्चात् यदि इसी तरह के मामले में अभियुक्त बनाया जाता है तो जमानतदार इसकी सूचना से संबंधित शपथ–पत्र संबंधित न्यायालय में दाखिल करेंगे तथा विद्वान विचारण न्यायालय को यह अधिकार होगा कि शर्तो के दुरूपयोग के आधार पर आवेदक का बंध–पत्र रद्द कर सकेगे।
4. आवेदक किसी साक्षी को प्रभावित नहीं करेगा, यदि ऐसा करता है तो उसका बंध–पत्र

रद्द किया जा सकता हैं

5. आवेदक जमानत से मुक्त होने के पश्चात् दो सप्ताह के अन्दर इस आदेश की प्रति के साथ स्थानीय थाना के थाना प्रभारी के समक्ष प्रस्तुत होगा एवं आरोप गठन होने तक हर पखवाड़े में थाना प्रभारी के समक्ष उपस्थिति दर्ज कराएगा ।

कार्यालय आदेश की एक प्रति संबंधित थाना प्रभारी को भेजे तथा संबंधित थाना प्रभारी आवेदक के द्वारा आदेश के अनुपालन का प्रतिवेदन संबंधित विद्वान विचारण न्यायालय को उपलब्ध कराए।

लेखापित

ह0/–
सत्र न्यायाधीश
पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी।
दिनांकः– 16.04.2026